न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 86/2021

वादी :–

1. भेरूसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सरवडी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जेठूसिंह पुत्र समर्थसिंह
2. पुष्पा पत्नी नारायणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सरवडी पुरोहितान, तह0 पचपदरा
3. राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री ओमसिंह राजपुरोहित वादी अधिवक्ता
2.. श्री सुरेन्द्रसिंह प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :– 01.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 593 रकबा 18–16 बीघा, खसरा नं 808/345 रकबा 08–12 बीघा व खसरा संख्या 810/345 रकबा 0–08 बीघा किस्म बा.अ कुल रकबा 27–06 बीघा सरहद मौजा सरवडी, पटवार क्षेत्र सरवडी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी के पिता नारायणसिंह पुत्र समर्थसिंह की मृत्यु होने पर तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 474 दिनांक 28.08.1986 को भरा गया था उस वक्त वादी नाबालिग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम त्रिलोक होने से राजस्व रेकर्ड में त्रिलोकसिंह पुत्र नारायणसिंह नाबालिक जरिये कुदरती वली माता पुष्पा बेवा नारायणसिंह नाम दर्ज किया गया ।जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं स्कूल रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भेरूसिंह पुत्र नारायणसिंह दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज त्रिलोकसिंह के स्थान पर भेरूसिंह सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

वादी का वाद पत्र को दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन दिनांक 4.02.2021 को जारी किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से ईकबाली जवाबदावा पेश [illegible] वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का [illegible] के स्थान पर भेरूसिंह पुत्र नारायणसिंह दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:41:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

...प्रदर्श कराये गये बयान कलमबद्ध किये गये ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों की पुनरवृति की एवं वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर वादी का नाम त्रिलोकसिंह की जगह भैरूसिंह पुत्र नारायणसिंह घोषित कराने का निवेदन किया गया ।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 593 रकबा 18.–16 बीघा, खसरा नं 808/345 रकबा 08–12 बीघा व खसरा संख्या 810/345 रकबा 0–08 बीघा किस्म बा.अ कुल रकबा 27–.06 बीघा सरहद मौजा सरवडी, पटवार क्षेत्र सरवडी, में वादी के पिता की फौतगी पर नामान्तरकरण संख्या 474 दिनांक 28.08.1986 को भरा गया जिसमें वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम त्रिलोकसिह पुत्र नारायणसिह दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या जीकेवी/3041969, आधार कार्ड संख्या 58024061603., पेन कार्ड संख्या एटीटीपीआर 8687 सी, ड्राईविंग लाईसेंस संख्या आरजे 04ए/डी डीएल–सी/10/27072 दिनांक 27.7.2010 में भैरूसिंह पुत्र नारायणसिंह दर्ज है व अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपच ग्राम पंचायत सरवडी प.स. कल्याणपुर एवं उपतहसीलदार कल्याणपुर की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के पिता नारायणसिंह की फौतगी का नामान्तरकरण भरते समय बचपन का नाम त्रिलोकसिंह दर्ज किया गया है वादी का सही नाम भैरूसिंह पुत्र नारायणसिंह है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर मौजा सरवडी, पटवार मण्डल सरवडी, के खेत खसरा नं 593 रकबा 18.–16 बीघा, खसरा नं 808/345 रकबा 08–12 बीघा व खसरा संख्या 810/345 रकबा 0–08 बीघा किस्म बा.अ कुल रकबा 27–.06 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम त्रिलोकसिह के स्थान पर भैरूसिंह पुत्र नारायणसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:41:57 IST
Reason: SelfAttested